न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, गढ़ी (राज0)

पीठासीन अधिकारीः अंजु शर्मा, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्याः 25/2021

उनवान

(1) पेमजी पिता नाथु जाति पटेल निवासी भीमपुर तहसील गढी जिला बांसवाडा।
(2) श्रीमती धापु पत्नि नाथु जाति पटेल निवासी भीमपुर तहसील गढी जिला बांसवाडा।

—: वादीगण

बनाम

(1) भुरा पिता अमरजी जाति पाटीदार निवासी भीमपुर तहसील गढी जिला बांसवाडा।
(2) देवेंग पिता अमरजी जाति पाटीदार निवासी भीमपुर तहसील गढी जिला बांसवाडा।
(3) रूपेंग पिता अमरजी जाति पाटीदार निवासी भीमपुर तहसील गढी जिला बांसवाडा।
(4) पेमजी पिता अमरजी जाति पाटीदार निंवासी भीमपुर तहसील गढी जिला बांसवाडा।
(5) तहसीलदार गढी जिला बांसवाडा।

—: प्रतिवादीगण

दावा बाबत् — 188, 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

निर्णय

दिनांक 13.8.2024

वादीगण की ओर से प्रस्तुत वाद का संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार हैं कि वादीगण के स्वामित्व व आधिपत्य की कृषिं भुमी खाता संख्या 193 नया 182, 183 पुराना के आराजी सर्वे नम्बर 317 रकबा 0.04 हे0, सर्वे नम्बर 327 रकबा 0.07 हे0, सर्वे नम्बर 329/2 रकबा 0.07 हे0, सर्वे नम्बर 356 रकबा 0.03 हे0, सर्वे नम्बर 358 रकबा 0.03 हे0, सर्वे नम्बर 396 रकबा 0.10 हे0, सर्वे नम्बर 532 रकबा 0.05 हे0, सर्वे नम्बर 533 रकबा 0.12 हे0, सर्वे नम्बर 535 रकबा 0.10 हे0, सर्वे नम्बर 536 रकबा 0.04 हे0, सर्वे नम्बर 657 रकबा 0.01 हे0, 704 रकबा 0.01 हे0, 709 रकबा 0.02 हे0, 726 रकबा 0.03 हे0, 745 रकबा 0.06 हे0, सर्वे नम्बर 915 रकबा 0.07 हे0, सर्वे नम्बर 946 रकबा 0.06 हे0, सर्वे नम्बर 1081 रकबा 0.02 हे0, सर्वे नम्बर 1284 रकबा 0.04 हे0, सर्वे नम्बर 1525 रकबा 0.16 हे0, सर्वे नम्बर 1566 रकबा 0.03 हे0, सर्वे नम्बर 1588 रकबा 0.05 हे0, सर्वे नम्बर 1604 रकबा 0.06 हे0, सर्वे नम्बर 1708 रकबा 0.16 हे0, सर्वे नम्बर 1777 रकबा 0.07 हे0, सर्वे नम्बर 1807 रकबा 0.03 हे0, सर्वे नम्बर 1824 रकबा 0.08 हे0, सर्वे नम्बर 1924 रकबा 0.03 हे0, सर्वे नम्बर 1942, रकबा 0.02 हे0, सर्वे नम्बर 1951 रकबा 0.06 हे0, सर्वे नम्बर 1953 रकबा 0.02 हे0, सर्वे नम्बर 2021 रकबा 0.07 हे0, सर्वे नम्बर 2022 रकबा 0.06 हे0, सर्वे नम्बर 2027 रकबा 0.06 हे0, सर्वे नम्बर 2122 रकबा 0.07 हे0, सर्वे नम्बर 2123 रकबा 0.03 हे0, सर्वे नम्बर 2126 रकबा 0.05 हे0, सर्वे नम्बर 2160 रकबा 0.04 हे0, सर्वे नम्बर 2176 रकबा 0.03 हे0, सर्वे नम्बर 2206 रकबा 0.04 हे0, सर्वे नम्बर 2294 रकबा 0.01 हे0, सर्वे नम्बर 2432 रकबा 0.07 हे0, सर्वे नम्बर 2434 रकबा 0.06 हे0, सर्वे नम्बर 2496/2647 रकबा 0.05 हे0, सर्वे नम्बर 2538 रकबा 0.03 हे0 वाके गांव भीमपुर तहसील गढी जिला बांसवाडा मे स्थित है । जिसका वादीगण उपयोग एवं उपभोग करते चले आ रहे है। आज से 15 रोज पूर्व वादीगण के खाते की उक्त भुमि मे से सर्वे नम्बर 1924 रकबा 0.03 हेक्टर में प्रतिवादी नम्बर 01 से 04 [illegible] रूप से प्रवेशकर निर्माण सामग्री डाल अवैद्य रूप से निर्माण कार्य करने आमादा है। [illegible] होने पर रोकने गये तो प्रतिवादी नम्बर 01 से 04 मरने [illegible] प्रतिवादीगण को वादीगण व गांव के लोगो ने बहुत समझाया परन्तु प्रतिवादीगण समझने को तैयार नही है व कहते है [illegible] जमीन हमारी है इसे हम लेकर रहेंगे, जबकी उक्त आराजी [illegible]बर 1924 रकबा 0.03 [illegible]री प्रथम होकर वादीगण के खाते दर्ज रिकार्ड है। जिस पर प्रतिवादीगण का कोई हक व अधिकार नही है। वादीगण की भुमि पर प्रतिवादीगण नम्बर 01 से 04 जबरन अवैद्य रूप से अतिक्रमण कर हडपने आमादा होकर जबरन कब्जा करने की नियत से प्रतिवादी नम्बर 01 एवं 02 अवैद्य निर्माण कर रहे है व झगडा कर रहे है। जिसे स्थाई निषेधाज्ञा रोका जाना आवश्यक है । यह कि प्रतिवादी नम्बर 01 से 04 आराजी सर्वे नम्बर 1924 रकबा 0.03 हेक्टर भुमि मे अनाधिकृत रूप से अतिक्रमण करने

Signature Not Verified
Digitally signed by Anju Sharma
Date: 2024.09.09 11:24:24 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
गढी, जिला बांसवाडा

से नही रोका गया तो वादीगण अपनी भुमि उपयोग उपभोग के संवैधानिक अधिकारो से वंचित हो जायेगे व वादीगण को ऐसी क्षति होगी जिसका मुल्याकंन संभव नही हो सकेगा एवं प्रतिवादी नम्बर 01 से 04 द्वारा किया जा रहा उक्त निर्माण, अवैद्य है । अतः यह वाद पत्र हस्ब धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम पेश है । वादीगण की भुमि उक्त आराजी नम्बर 1924 रकबा 0.03 हेक्टर पर प्रतिवादीगण का कोई हक अधिकार नही है एवं ना ही प्रतिवादीगण को कोई मालिकाना हक है। वादीगण का वाद हेतु प्रतिवादी नम्बर 01 से 04 द्वारा 15 रोज पुर्व उक्त भुमी मे अनाधिकृत रूप से प्रवेशकर अवैद्य रूप से निर्माण सामग्री डाल अवैद्य निर्माण करने अमादा होने से व समझाने पर लडाई झगडा करने पर उतारू होने से वाद पेश हुआ।

वादीगण की ओर से प्रस्तुत वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण के नाम सम्मन जारी किये जाने पर प्रतिवादीगण की ओर से श्री शिवलालपुरी, अभिभाषक का वकालतनामा पेश होकर जंवाब प्रस्तुत होने पर निम्नानुसार तनकियात कायम की गईः—

(1) आया प्रतिवादीगण द्वारा वादी की खातेदारी आराजी नम्बर 1924 पर अनाधिकृत तरीके से प्रवेश कर निर्माण कार्य किये जाने से, विरूद्ध प्रतिवदीगण, वादी स्थायी निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 188 राज0 काश्तकारी अधिनियम में प्राप्त करने का अधिकारी है।

—: वादीगण

(2) आया प्रतिवदीगण द्वारा वादी की भूमि सर्वे नम्बर 1924 पर कोई निर्माण/हस्तक्षेप नही किये जाने से वाद काबिल निरस्ती है।

—: प्रतिवादीगण

(3) अनुतोषः—

प्रकरण में बकुलाय की बहस सुनी जाकर कायम की गई तनकियात निम्नानुसार निर्णित की गईः—

तनकी संख्या 01 को सिद्ध करने का भार वादीगण का था, वादीगण की ओर से अपने वाद के समर्थन में प्रस्तुत मौजा भीमपुर की खाता संख्या 193 (नई) 182, 183 (पुरानी) की जमाबन्दी संवत 2069 से 2072 अनुसार सर्वे नम्बर 1924 रकबा 0.03 हे0 भूमि खदीगण की खातेदारी में दर्ज होना अंकित है। वादीगण ने अपने वाद में प्रतिवादीगण द्वारा वादग्रस्त सर्वे नम्बर 1924 पर निर्माण कार्य किया जाने से वादी प्रस्तुत किया है। अतः उक्त तनकी वादीगण के पक्ष में निर्णित की जाती है।

तनकी संख्या 02 को सिद्ध करने का भार प्रतिवादीगण का था, प्रतिवादीगण ने अपने जवाब में यह कथन किया हैं कि उनके द्वारा वादी के सर्वे नम्बर 1924 पर कोई निर्माण/हस्तक्षेप नही किया गया है। अतः उक्त तनकी प्रतिवादीगण के पक्ष में निर्णित की जाती है।

तत्पश्चात् वादी अभिभाषक को वादी की साक्ष्य हेतु कई अवसर दिये जाने के उपरान्त भी वादी की साक्ष्य पेश नही होने पर वादी की साक्ष्य बन्द की जाकर पत्रावली प्रतिवादी की साक्ष्य में नियत की गई। प्रतिवादी अभिभाषक को भी साक्ष्य हेतु कई अवसर दिये जाने के उपरान्त भी प्रतिवादी की साक्ष्य पेश नही होने पर प्रतिवादी की साक्ष्य बन्द की गई।

प्रकरण में बकुलाय की बहस पर मनन् करने तथा वादीगण की ओर से प्रस्तुत वाद, मौजा भीमपुर की खाता संख्या 193 (नई) 182, 183 (पुरानी) की जमाबन्दी संवत 2069 से 2072 के कुल किता 45 रकबा 2.41 हे0 भूमि में ही वादग्रस्त सर्वे नम्बर 1924 रकबा 0.03 हे0 भूमि वादीगण की खातेदारी में दर्ज रिकार्ड है। वादग्रस्त सर्वे नम्बर 1924 में प्रतिवादीगण द्वारा अपना जवाब प्रस्तुत कर कोई निर्माण/हस्तक्षेप नही करना अवगत कराया है।

अतः वादीगण का वाद स्वीकार किया जाकर प्रकरण में स्थाई निषेधाज्ञा जारी किया जाकर प्रतिवादीगण को आदेशित किया जाता है कि मौजा भीमपुर की खाता संख्या 193 (नई) 182, 183 (पुरानी) की जमाबन्दी संवत 2069 से 2072 के कुल किता 45 रकबा 2.41 हे0 भूमि में सम्मिलित वादग्रस्त सर्वे नम्बर 1924 रकबा 0.03 हे0 भूमि में किसी प्रकार का अनुचित कार्य, अतिक्रमण, निर्माण नही करें एंव न ही किसी अन्य से कोई ऐसा कृत्य करावें जिससे वादीगण को अपनी खातेदारी भूमि में व्यवधान पैदा होवे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Anju Sharma
Date: 2024.09.09 11:24:24 IST
Reason: SelfAttested

(अन्जु शर्मा)
उपखण्ड अधिकारी
गढ़ी

उपखण्ड अधिकारी
गढ़ी, जिला बांसवाड़ा

आदेश

वादीगण का वाद स्वीकार किया जाकर प्रकरण में स्थाई निषेधाज्ञा जारी कि जाकर प्रतिवादीगण को आदेशित किया जाता हैं कि मौजा भीमपुर की खाता संख्या 193 (नई) 182, 183 (पुरानी) की जमाबन्दी संवत 2069 से 2072 के कुल किता 45 रकबा 2.41 हे0 भूमि में सम्मिलित वादग्रस्त सर्वे नम्बर 1924 रकबा 0.03 हे0 भूमि में किसी प्रकार का अनुचित कार्य, अतिक्रमण, निर्माण नही करें एंव न ही किसी अन्य से कोई ऐसा कृत्य करावें जिससे वादीगण को अपनी खातेदारी भूमि में व्यवधान पैदा होवे। इस आशय की डिक्री पृथक से जारी की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 13.8.2024 को जारी किया गया।

उपखण्ड अधिकारी
गढ़ी

उपखण्ड अधिकारी
गढ़ी, जिला बांसवाड़ा

Signature Not Verified

Digitally signed by Anju Sharma
Date: 2024.09.09 11:24:24 IST
Reason: SelfAttested